भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1150
दिनांक 18 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

किशोर न्याय अधिनियम, 2000

1150. श्री पी॰ वेलुसामीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में संशोधन करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बालक कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों में श्रमशक्ति की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने और दत्तकग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 अधिनियमित किया। जेजे अधिनियम 2015 में और संशोधन के लिए प्रारूप कानून की जांच के लिए गठित मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें प्रदान कर दी हैं। मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप संशोधन विधेयक 2020 तैयार किया गया है।

(ग) : बाल संरक्षण सेवा स्कीम के अनुसार प्रत्येक बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड में एक डाटा एंट्री आपरेटर उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे अधिनियम) तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 कार्यान्वित कर रहा है। जेजे अधिनियम संस्थानिक एवं गैर संस्थानिक देखरेख के उपायों का समर्थन करता है जिसका उद्देश्य विपदाग्रस्त परिस्थितियों के शिकार बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना है। पोक्सो अधिनियम में यौन हमला, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए भी प्रावधान है।

दत्तकग्रहण विनियम 2017 के माध्यम से दत्तकग्रहण नीति को सरल बनाया गया है।

*****